न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 106 / 2021 2021/182

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. सरकार जरिये तहसीलदार लूणी		राजेश कुमार वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक :- 30/4/2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जरिये तहसीलदार लूणी ने ग्राम नारनाडी के खसरा नं. 634 रकबा 26.15 बीघा किस्म बारानी ।।। कृषि भूमि प्रार्थी खातेदारों के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर मौके अनुसार तरमीम करने बाबत की भू0अ0 निरीक्षक बोरानाडा से जांच करवायी गयी। जिसके अनुसार ग्राम नारनाडी के खसरा नं. 634 रकबा 26.15 बीघा भूमि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 452 के अनुसार भारती कुड़ी पत्नी अरविन्द कुड़ी जाति जाट सा. कृष्णा नगर पाली रोड जोधपुर, गरिमा बोहरा पत्नी मुकुल बोहरा जाति ब्राह्मण सा. 6क 9 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के नाम 16.18 बीघा एवं मुरलीधर ईशवानी के वारिसान राजेश कुमार, लोकेश कुमार व मीना बादलानी वगैरा निवासीगण चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के नाम 9.17 बीघा राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार दर्ज हैं। इसलिये खसरा नं. 634 रकबा 26.15 बीघा का अलग–अलग भागों में विभाजन होने से DIRLMP के तहत वन–टू–वन मैपिंग में प्रार्थी खातेदार राजेश कुमार वगैरा की 9.17 बीघा भूमि की मौके अनुसार अलग तरमीम करने एवं शेष 16.18 बीघा भूमि गरिमा बोहरा व भारती कुड़ी वगैरा की यथावत रखे जाने की अनुशंषा कर निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, पत्रावली का विस्तृत अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया।जिससे स्पष्ट हैं कि वर्तमान में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना DIRLMP के तहत वन–टू–वन खसरा मैपिंग कार्य चल रहा हैं। इसी के तहत तहसीलदार(भू.अ.) लूणी से पत्रांक भू.अ. / 2021 / 879 दिनांक 28.04.2021 द्वारा प्राप्त प्रकरण मय प्रस्ताव के अवलोकन व अध्ययन से स्पष्ट हैं कि ग्राम नारनाडी के खसरा नं. 634 रकबा 26.15 बीघा किस्म बारानी ।।। वर्तमान जमाबन्दी 2073–76 खाता संख्या 452 रेकर्ड में दर्ज हैं। भू.अ. निरीक्षक बोरानाडा की दिनांक 27.04.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 634 रकबा 26.15 बीघा किस्म बारानी ।।। में से खातेदार मुरलीधर ईशवानी ने 9.17 बीघा भूमि अलग–अलग

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी